कार्यालय जिलाधिकारी,बाराबंकी।

संख्याः कोविड–19 / 2021 402 दिनांकः 16 17 मई 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः 548 / पॉच–5–2020, दिनांकः14 मार्च 2020 के द्वारा महामारी अधिनियम–1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) के कम में उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 (सप्तम् संसोधन) दिनांकः 31 मार्च 2021 विनियमावली, 2021 के द्वारा दिनांकः 30 जून 2021 तक या जब तक अगेत्तर आदेश नही दिये जाते है, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।

जिला महिला चिकित्सालय बाराबंकी कोविड पॉजीटिव गर्भवती महिलाओं को प्रसव / सिजेरियन प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

उक्त के दृष्टि जिला महिला चिकित्सालय में संचालित पैथालॉजी, अल्ट्रासाउन्ड एवं Antigen जॉच नॉन कोविड, कोविड संकमित एवं कोविड प्रिजेम्टीव मरीजों हेतु 24X7 घण्टे संचालित करना सुनिश्चित करें।

कोविड संकमित एवं कोविड प्रिजेम्टीव प्रसूताओ को तत्काल / प्राथमिकता पर उपरोक्त चिकित्सा सेवायें 24X7 घण्टे प्रदान कराने हेतु डा0 संगीता श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगी।

उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड–19 (कोरोना वायरस) सकंमण के प्रसार को रोकने हेतु दिये गये निर्देशो का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या–45 सन् 1860) की धारा–188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा।

(डा0आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी।

संख्याः कोविड–19 / 2020 7342 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित–ः

1. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं अद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. आयुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी
5. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,बाराबंकी।
7. उप जिला अधिकारी, नवाबगंज बाराबंकी।

8 मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय बाराबंकी।

8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय पुरूष बाराबकी।
9. प्रभारी अधिकारी, आई0सी0सी0सी0

जिलाधिकारी
बाराबंकी